यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/31/2018 **दिनांक :** 23.03.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

- ☞ ***यूएफबीयू का संसद के सम्मुख धरना***
- ☞ ***यूएफबीयू प्रतिनिधिमण्डल की वित्त मंत्री तथा सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ बैठक***

हमने हमने पूर्व परिपत्रों संख्या 2016–19/28/2018 दिनांक 21.03.2018 तथा 2016–19/29/2018 दिनांक 22.03.2018 के माध्यम से यूएफबीयू के आह्वान पर संसद के सम्मुख धरना तथा यूएफबीयू प्रतिनिधिमण्डल द्वारा वित्त मंत्री को प्रस्तुत किए गए स्मरण पत्रों के विषय में प्राथमिक सूचना प्रेषित कर दी थी। अब हम इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/44/2018/7 दिनांक 23.03.2018 का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **पीएनबी धोखेबाजों के विरूद्ध कार्रवाई की माँग करते हुए संसद के सम्मुख धरना**
- **वित्त मंत्री के साथ यूएफबीयू की बैठक**
- **सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ यूएफबीयू की बैठक**

यूएफबीयू परिपत्र : जैसा कि पहले से तय हुआ था, संसद के सम्मुख धरना का हमारा कार्यक्रम कल सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। धरना संसद मार्ग पर आयोजित किया गया था। सभी 9 घटक यूनियनों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने धरने में भागीदारी की।

हमारी यूनियनों के नेताओं के अतिरिक्त, धरने को साथी डी. राजा, सांसद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया, साथी तपन सेन, सांसद, सीपीआई (मार्क्सवादी) तथा साथी प्रेमचन्द्रन, सांसद, रेवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी द्वारा मुबारकबाद दी गई।

साथी डी. राजा की मदद से, यूएफबीयू के प्रतिनिधिमण्डल ने श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल के दौरान साथी तपन सेन भी हमारे साथ उपस्थित थे। माननीय वित्त मंत्री के साथ हमारी बैठक के दौरान हमने वर्तमान धोखाधड़ी जो पंजाब नैशनल बैंक में हुई है, वेतन समझौता वार्ता में देरी, कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति में देरी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कर्मचारी कल्याण निधि के आवंटन पर चार ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। विवरण नीचे दिया गया है :

जारी पृष्ठ 2

वित्त मंत्री के साथ बैठक : वित्त मंत्री के साथ हमारी बैठक के दौरान, हमने पीएनबी में हुई धोखाधड़ी तथा एक ऐसी छवि चित्रित करने के प्रयासों जैसे कि कुछ कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है के बारे में अपनी चिंताओं को समझाया जबकि तथ्य यह रहा कि आंतरिक लेखा परीक्षा, बाह्य लेखा परीक्षा, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, शीर्ष प्रबंधन आदि के भाग पर गंभीर लापरवाही के अलावा उच्च स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। हमने सभी सम्बन्धित लोगों पर कठोर कार्यवाही करने तथा निरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत वापस लाये जाने के लिए तत्काल कदम उठाने तथा उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई करने की माँग की। माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार मामले से पूरी तरह अवगत है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

हमने यह भी बताया कि मीडिया, तथा फिक्की, एसोचैम आदि से निहित स्वार्थ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की मांग कर रहे हैं जैसे कि धोखाधड़ी पीएनबी में हुई है क्योंकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। वित्त मंत्री अपने उत्तर में स्पष्ट थे कि धोखाधड़ी का स्वामित्व से कोई मतलब नहीं है और सरकार का आज की तिथि तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए कोई कदम नहीं है।

वेतन पुनरीक्षण : बैठक के दौरान हमने इस पर भी उनका ध्यान आकर्षित किया कि वेतन पुनरीक्षण वार्तायें नहीं हो रही हैं और आईबीए ने अपना न्यूनतम प्रस्ताव तक नहीं किया है जबकि सरकार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैंकों तथा आईबीए को लगातार याद दिला रही है। हमने उन्हें बताया कि देरी से कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों के बीच गंभीर असंतोष पैदा हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आईबीए को इस संबंध में सलाह दी जाएगी।

कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति : हमने उन्हें यह भी सूचित किया कि कर्मचारी तथा अधिकारी निदेशकों के पद सभी बैंकों में रिक्त हैं और पिछले तीन वर्षों से, सरकार द्वारा कोई रिक्त पद नहीं भरा गया है। उन्होंने हमें सूचित किया कि वह इस मामले पर विचार करेंगे और हमसे इस संबंध में सचिव, वित्तीय सेवा विभाग से मिलने के लिए कहा।

बैंकों में कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन पर संशोधित दिशानिर्देश : हमने उन्हें यह भी बताया कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी कल्याण योजनाओं का आवंटन शुद्ध लाभ से किया जाता है किन्तु कई बैंकों में खराब ऋणों के लिए भारी प्रावधानों के कारण, शुद्ध हानि है हालांकि सभी बैंक परिचालन लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसलिए हमने शुद्ध लाभ के बजाय परिचालन लाभ के आधार पर कर्मचारी कल्याण योजनाओं के आवंटन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन का अनुरोध किया। उन्होंने हमारे दृष्टिकोण की सराहना की और इस मामले को देखने के लिए विभाग को सलाह देने का आश्वासन दिया।

सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के साथ बैठक : इसके बाद, हमारे प्रतिनिधि श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से मिले और वित्त मंत्री को लिखे गए हमारे पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत कीं। हमने उन्हें इन सभी मुद्दों को विस्तार से बताया। उन्होंने अपने ओर से मामले को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

साथियों, हम एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जब कि बैंकिंग उद्योग इतनी अशांति से गुजर रहा है। उसी समय, वेतन पुनरीक्षण के लिए हमारे मांग पत्र को भी शीघ्र किए जाने की आवश्यकता है। हमें लोगों के बीच अभियान चलाना होगा ताकि बैंकों पर उनका विश्वास बहाल किया जा सके। हमें अपनी माँगों को प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना है। इसलिए हमें अधिक एकजुट होकर और समरूप प्रकार से आगे बढ़ना होगा।

अभिवादन सहित,

आपका साथी

ह0..

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री